Submitted with Moderator
Zone 'O'

76

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा

Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"

"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	Suresh Chand Srivastava
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Resident Welfare Association Meethapur.
वर्तमान स्थिति Present Position	O-Zone Residents
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9266666843 OFFICE OF THE DIR (Plg.) MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2 Dy.No. 3687 Dated 30/5/12
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	34/12, Sindhu farm Road Meethapur.
हस्ताक्षर : Signature :	[signature]
तिथि : Date :	29/5/12

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

रेज़िडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशन (रजि०)

सिन्धू फार्म रोड, मीठापुर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली - 110044

पत्रांक.................... दिनांक 29.5.2012

श्री तपन मंडल

डाइरेक्टर (पी एल जी), डी डी ए जोन .

तीसरी मंजिल विकास मीनार नई दिल्ली

विषय : मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मीठापुर छेत्र को गलत तरीके से ओ जोन में दर्शाने के सन्दर्भ में ।

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मीठापुर छेत्र को ओ जोन में दर्शाया गया है, जो की सरासर गलत है । मीठापुर छेत्र यमुना नदी से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है व इस छेत्र की सभी कालोनियां दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है इस छेत्र में लाखों की आबादी है, व यह छेत्र यमुना फ्रंट पर नहीं आता। मीठापुर छेत्र के पीछे हरियाणा के सेहतपुर , इस्माईलपुर , बसंतपुर व अगवानपुर गाँव हैं व कुछ कालोनियां व अधिक्रत सैक्टर 91 हुड्डा / ऍम सी ऍफ़ जो की हरियाणा सरकार की तरफ से अधिकृत सूर्य नगर के नाम से है. तथा इसके बाद भी कुछ कालोनियां और बसी हुई हैं तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसलिए मीठापुर छेत्र को ओ जोन के दायरे में लाया जाना तर्कसंगत नहीं होगा, जबकि दिल्ली में कई जगह जो 1 किलोमीटर के दायरे में है, उनको भी आपने ओ-जोन से बाहर रखा है। यमुना नदी व मीठापुर छेत्र के बीच में हरियाणा की यह तमाम आबादी लगभग 6-7 किलोमीटर के चौड़ाई में बसी हुई है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है की आप कृपया मीठापुर छेत्र को ओ जोन से निकलकर हमारे साथ लगते एफ जोन में डालने की कृपा करें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

आपका अपना

प्रधान
सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव
सिन्धू फार्म मीठापुर विस्तार

(सुरेश चंद्र श्रीवास्तव)

प्रधान

350